फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगणः– बनाम अप्रार्थीगणः–

लक्ष्मणसिंह पुत्र भंवरसिंह वगैरह (राजकीय) राजकीय प्रकरण जरिए

जाति रावत सा० लासली तह० सोजत जाति तहसीलदार, सोजत

किस्म मुकदमाः– राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 110, 111 व 128 C.P.C. Act, 1956. नंबर 302 / सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
03.07.2018	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 110, 111 व 128 C.P.C. के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनॉक 23-07-2018 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत (जिला –पाली)	Act 1956. नोटिस 532 5/7/18
23-07-18	वकुलाय अनुपस्थित। आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 12-09-18 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट	
12-09-18	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त है / अवकाश पर है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 26-09-18 को पेश हो। नोटिस सिंचाई विभाग सोजत को प्रेषित किया, सा० सि० किया गया। उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
26-09-2018	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित। पूर्वक से जवाब पेश करना नहीं चाहते सो जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी गण संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता को नोटिस सिंचाई विभाग ने वकालतनामा पेश किया, सालिश मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 का बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजें दिलाने आज पत्र को अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या P.T.O. उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.	

Scanned by CamScanner

9 मूली देवा व अन्य सिंह पौत्र हो चुकी है, जिसके
कारण प्रार्थी सं० 7 को नोटिस तामिल होकर उपस्थित
होने पर श्री गजेन्द्र सिंघाड़िया एडवोकेट जोधपुर
कार्य किया है। उपखण्ड अधिकारी सं० 8 को प्रार्थी नोटिस पर
उपस्थित होने की तहकीक रिपोर्ट एवं भाव फाइल
तामिल तामिल रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। प्रार्थीगण
नीसांकण से सहमत है तथा कोर्ट कार्यवाही में कोई
नीसांकण एवं पत्रावली किये जाने में कोई
आपत्ति व्यक्त नहीं की है। उपखण्ड अधिकारी सं० 8 का एकमात्र
प्रतिकूल तथ्य किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत
नहीं होती है। कार्यवाही प्रार्थीगण एकमत से अवगत
नहीं होते हैं, अतः बन्द किया जाता है।

बहस प्रा० पत्र कार्यवाहक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत। अतः
अर्थी कार्यवाहक प्रार्थीगण ने प्रार्थना आधारित धारा
110, 111 व 128 LRA Act 1956 का इस आधार का पेश किया
कि सरहद मौजा-बामरा कलां खसरा नं० 1 खोड़िया तह०
सोजत में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की बहिनें सुन्दरदेवी
जमीला देवी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि
भूमि वर्तमान रकबा एक 2698/2018 रकबा 1.6200 हैक्टर
विस्तार आबादी। स्थित है प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व
एक हकदार की खातेदारी भूमि का विवाद है मौजा-बामरा
कलां खसरा में एक नं० 2418 रकबा 0.5100 हैक्टर की भूमि
भूमि उपखण्ड सं० 2 मि० 10 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त
की स्थित है जिसका विवाद प्रार्थीगण की भूमि सी० 6 मा० 6 है
उपखण्ड अधिकारी सं० 2 मि० 10 द्वारा मा० 6 व चौरापाल को लेकर
विवाद किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण की भूमि में
नीसांकण के अभाव में लगातार कब्जा काश्त व उपयोग
उपयोग में आवश्यक रूप से दिनांक 08-05-2018 को
दरखास्त दायर करने लगे। तहसीलदार, सोजत के न्यायालय
में एक नं० 2698/2018 की भूमि की पैमाइश हेतु प्रार्थना
पत्र कार्य पर दि० 10-05-2018 को पटवारी खेड़िया को
नीसांकण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया जाने
पर पालना में दिनांक 22-06-2018 को पटवारी द्वारा मौके
स्थान पर उपस्थित गण नहीं आने तथा कुछ उपस्थित गण
मौके पर विवाद करने लगे। जिससे मौके पर विवाद की
स्थिति से प्रार्थीगण की भूमि का नीसांकण नहीं हो सका।
इस प्रकार प्रार्थना-पत्र अर्थ शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात
पेश कर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि
भूमि एक नं० 2698/2018 रकबा 0.6200 हैक्टर आबादी
की भूमि का नीसांकण किया जाकर मौके पर पत्रावली
में स्थल कब्जे के जीए मुताबिक लगवाये जाकर नीसांकण
जाने की इत्तला की है। प्रस्तुत प्रा० पत्र दि० 26-09-2018
उपखण्ड सं० 8 कौशल्या देवी पत्नी हलासिंह के विरुद्ध उस
प्रकार में विपक्षी कब्जा नहीं कार्य से प्रा० पत्र खारिज
किया जाता है तथा उक्त प्रकार को प्रा० पत्र से हटाया
(Struck out) जाता है। कार्यवाहक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत
संशोधित प्रार्थना पत्र पर विचार जाकर स्वीकार किया गया।
पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया।

सत्यापन:-

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही अन्य हमेशिवल्ल जल	जबान व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुष्टि प्रार्थना पत्र शासन-पत्र धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत प्रकरण पूर्व में दायर किया गया। संदर्भित प्रकरण में संलग्न पत्रावली अन्तर्गत तहसीलदार, सोजत का पुनर्विलोकन आदेश सं. 058/ दिनांक 10-05-18 तथा अपील अवधि दिनांक 22-06-2018 का अवलोकन पूर्वक अवलोकन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गौर कर मनन किया गया। अवलोकन: पत्रावली गण की खातेदारी इकाई सं. 2698/2013 रकबा 01.6200 है.2 सहित खातेदारी इकाई सं. 2418 रकबा 01.5100 है.2 सहित का जामबंदी सम्बन्ध पटवारी तथा कथन दो व्यक्ति प्रार्थी व पटवारी गण को संयुक्त रोज आदित को जाकर स्वयं के नेतृत्व में पूर्वक सीमांकन करवाया जाकर पत्रावली मुताबिक मुआयना लगाया जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।	
	— आदेश —	
	अतः आवेदक का प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 सपठित 123 CrPC 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर दो सप्ताह सोजत-रामपुरा मार्ग स्थित तहसील सोजत में स्थित खातेदारी इकाई सं. 2698/2013 रकबा 01.6200 है.2 में स्थित खातेदारी इकाई सं. 2418 रकबा 01.5100 है.2 को खातेदारी इकाई रकबा 01.5100 है.2 को दो दिन की सूचना देकर स्वयं के नेतृत्व में सम्बन्धित पटवारी तथा दो व्यक्ति राजस्व अभिलेख अनुसार सीमांकन करवाकर मुताबिक आदित अवैध अतिक्रमण सीमांकन करवाकर मुताबिक मुआयना लगाने का आदेश तहसीलदार, सोजत को दिये जाते हैं। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय की सूचना प्रार्थी गण तथा सोजत को उक्त निर्णय की पालना करवाई जावे। पत्रावली नियमानुसार होकर तहसीलदार, सोजत से प्राप्त होने बाद दुरुस्त जाकर फाइलिंग करते हुए जमा हो।	तहसील 26 / 07 / 19
	(भंवर लाल) उपखण्ड अधिकारी, सोजत बोजत (जिला-पाली) राज	
	निर्णय आज दिनांक 26-09-2018 को सिविल जज उरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।	
	(भंवर लाल) उपखण्ड अधिकारी, सोजत बोजत (जिला-पाली) राज	

Scanned by CamScanner